


(60)

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**श्रम विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 15/10/2015


क्रमांक एफ 10-17/2015/16 :- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला हितग्राहियों को रूपये 7000/- तथा पुरुष श्रमिक को रूपये 3000/- पितृत्व लाभ प्रदाय किया जाता था। छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल की सातवीं बैठक दिनांक 26.08.2015 में लिये गये निर्णय एवं मण्डल के अनुमोदन उपरांत योजना में आंशिक संशोधन कर पुरुष श्रमिक के पितृत्व लाभ को स्थगित करते हुये ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता महिला श्रमिक को कुल रूपये 10,000/- प्रसूति सहायता प्रदाय किया जावेगा, जो कि आवेदिका के गर्भधारण के तीसरे माह में रूपये 5000/- एवं आठवे माह में रूपये 5000/- मण्डल द्वारा देय होगा।

  
(याकुब खोस्ला)  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ 10-17/2015/16 नया रायपुर, दिनांक 15/10/2015  
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मान0मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग नया रायपुर।
3. सचिव/सह श्रमायुक्त छ.ग.शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
4. कलेक्टर, जिला.....(छ.ग.)
5. नोडल अधिकारी, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी.....(छ0ग0)
7. गार्ड फाईल।

  
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग